

पत्र सं०-वि०व०संग्रह/ज्येष्ठता सूची संग्रह सेवक/(2023-24)/ 30 /राज्य कर
कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तर प्रदेश
(संग्रह अनुभाग)

लखनऊ:: दिनांक:: 17 अप्रैल, 2023

संयुक्त आयुक्त(कार्यपालक), राज्य कर
आगरा, कानपुर, मेरठ, झांसी,
इटावा, सोनभद्र, बिजनौर ।

कृपया मुख्यालय के पत्र संख्या-1005 दिनांक 13.03.2023 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा संग्रह सेवकों की ज्येष्ठता सूची तैयार किये जाने हेतु 44 संग्रह सेवकों की सूची प्रेषित करते हुए, किसी अनयामितता की स्थिति में संबंधित कार्मिक क सूचना दिनांक 23.03.2023 तक उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी थी । आपके अधीन संग्रह इकाई द्वारा अब तक कोई सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है ।

उक्त संबंध में आपसे पुनः अनुरोध है कि इस कार्यालय के पूर्व में प्रेषित पत्र सं० 1005 दिनांक 13.03.2023 के क्रम में सूची का परीक्षण करा ले । यदि दिनांक 24.04.2023 तक संबंधित कार्यालय द्वारा कोई सूचना उपलब्ध नहीं करायी जाती है एवं बाद में किसी भी प्रकार की त्रुटि/विसंगति प्रकाश में आती है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित कार्यालय की होगी । निर्धारित अवधि तक सूचना उपलब्ध न कराने की स्थिति में पूर्व में प्रेषित सूचना को आधार मानते हुए अनन्तिम ज्येष्ठता सूची जारी कर दी जायेगी ।

जो आदेश
17/04/23
D. G. (I. T.)
17/04/23
182

भवदीया,

(आरती कुमारी)

संयुक्त आयुक्त (संग्रह), राज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ ।

पू०प०सं० व दिनांक यथोक्त ।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

- 1- सम्बन्धित जोनल अपर आयुक्त, राज्य कर, उ०प्र० ।
- 2- सम्बन्धित उपायुक्त (प्रशासन/कर वसूली), राज्य कर उ०प्र० ।
- 3- संयुक्त आयुक्त (आई०टी०), राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु ।

17/04/23

संयुक्त आयुक्त (संग्रह), राज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ ।